

डिक्री ब मुकदमें इबतदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत
व इजलास
अनवान

सहायक कलक्टर(फास्ट-ट्रैक) चौहटन
श्री भागीरथराम II, आर.ए.एस.

मुकाम

चौहटन

वादीगण -

1.पनाराम 2.हेमाराम पि.शिवजीराम
3.मालू पत्नि शिवजीराम, जाति जाट
निवासी बाछड़ाऊ, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण -

1.गिरधारीराम 2.राहिंगाराम पि.हुकमाराम
3.खुमाराम पुत्र हुकमाराम के का.मु. :-
3/1.रामलाल 3/2.जोगाराम 3/3.देवाराम
3/4.मानाराम 3/5.मूली पि.खुमाराम
3/6.माली पत्नि खुमाराम
4.अनाराम पुत्र हुकमाराम, जातियान जाट
निवासी बाछड़ाऊ, तहसील चौहटन
5.तहसीलदार उपपंजीयक चौहटन

अधिवक्तागण -

वादीगण वकील -
प्रतिवादी वकील -

श्री फताराम गोदारा

श्री बलवंतसिंह चौधरी (प्रतिवादी सं. 1,2,4)

वाद बाबत 88,53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 37 / 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु.ब.रु. न्यायालय बहाजरी श्री फताराम गोदारा एड. मिनजानिब मुदाई व श्री बलवंतसिंह चौधरी एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन के मौजा बाछड़ाऊ के खसरा सं. 442 रकबा 49.07 बीघा एवं मौजा रूघपुरा के खसरा सं. 358 रकबा 172.09 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है। लगातार शेष पृष्ठ पर..... बीज मबलिंग बाबत पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक को अदा करे।

वसिहत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24.11.2022 को जारी की गई।



मुहर

दस्तखत.....

ओहदा

मुहर	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्थात् स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प संबुत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक		
मीजान					



नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे करना।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	गिरधारीराम, राहिगाराम, खुमाराम फौत के का.मु., अनाराम पि.हुकमाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार। रहन अनाराम पुत्र हुकमाराम का हिस्सा शाखा RMGB मांगता के पक्ष में	बाछड़ाऊ	442	24.14	बा.सो.	1.24	पीला
		रुघपुरा	358	86.04	बा.सो.	4.30	
	योग		2	110.18	बा.सो.	5.54	
2	पनाराम, हेमाराम पि. शिवजीराम, मालूदेवी पत्नि शिवजीराम कौम जाट, सा.देह खातेदार	बाछड़ाऊ	442	24.13	बा.सो.	1.23	बैंगनी
		रुघपुरा	358	39.03	बा.सो.	1.95	
			358	47.02	बा.सो.	2.36	
	योग		3	110.18	बा.सो.	5.54	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।



(भागीरथराम ॥)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन
सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 37/2018

पीठासीन अधिकारी - श्री भागीरथराम II, आर.ए.एस

अनवान

वादीगण - 1.पनाराम 2.हेमाराम पि.शिवजीराम
3.मालू पत्नि शिवजीराम, जाति जाट
निवासी बाछड़ाऊ, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण - 1.गिस्थारीराम 2.राहिंगाराम पि.हुकमाराम
3.खुमाराम पुत्र हुकमाराम के का.मु. :-
3/1.रामलाल 3/2.जोगाराम 3/3.देवाराम
3/4.मानाराम 3/5.मूली पि.खुमाराम
3/6.माली पत्नि खुमाराम
4.अनाराम पुत्र हुकमाराम, जातियान जाट
निवासी बाछड़ाऊ, तहसील चौहटन
5.तहसीलदार उपपंजीयक चौहटन

अधिवक्तागण - वादीगण वकील - श्री फताराम गोदारा
प्रतिवादी वकील - श्री बलवंतसिंह चौधरी




निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

दिनांक :- 24/11/2022

न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील वादीगण का कहना है कि तहसीलदार से जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है वह उन्हें स्वीकार है उसी अनुसार निर्णय किया जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया गया। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा मौजा बाछड़ाऊ के खसरा सं. 442 रकबा 49.07 बीघा एवं मौजा रूघपुरा के खसरा सं. 358 रकबा 172.09 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि


सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिदयत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	गिरधारीराम, राहिंगाराम, खुमाराम फौत के का.मु., अनाराम पि.हुकमाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार। रहन अनाराम पुत्र हुकमाराम का हिस्सा शाखा RMGB मांगता के पक्ष में	बाछड़ाऊ	442	24.14	बा.सो.	1.24	पीला
		रूघपुरा	358	86.04	बा.सो.	4.30	
योग			2	110.18	बा.सो.	5.54	
2	पनाराम, हेमाराम पि. शिवजीराम,मालूदेवी पत्नि शिवजीराम कौम जाट, सा.देह खातेदार	बाछड़ाऊ	442	24.13	बा.सो.	1.23	बैंगनी
		रूघपुरा	358	39.03	बा.सो.	1.95	
			358	47.02	बा.सो.	2.36	
योग			3	110.18	बा.सो.	5.54	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भागीरथराम II)

सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन